प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–09.04.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **71 वाहनों से मु0– 13,000 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 03 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

03 वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 07. 04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–03 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 40 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है

थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. दयाराम पुत्र स्व0 बृजमोहन नि0 भठ्ठा गॉव पिपरा पदुम चन्दवतपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–120/19 , धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. श्रीमती सुनीता पत्नी राज बहादुर नि0 भवाजीतपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से **10 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–62/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. उदयराज पुत्र गंगाराम नि0 सीर बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से **10 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–150/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

लड़की का अपहरण करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार– अपहृता बरामद

गोण्डा। मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना छपिया पुलिस द्वारा लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोपी अभियुक्त–प्रेम कुमार यादव पुत्र रामदयाल यादव नि0 ढढौवा डिहुलिया थाना छपिया जनपद गोण्डा को थाना छपिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0–96/19, धारा 363.366 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त पर थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली लड़की को दिनांक 30.032019 को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे पीड़िता के पिता द्वारा थाना छपिया पर उक्त मुकदमा दिनांक 02.04.2019 को दर्ज कराया गया था। जिसमें छपिया पुलिस द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 09.04.2019 को मुखबिर की सूचना पर मसकनॉ रेलवे स्टेशन के सामने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **कुल–18 विवेचनाओं** का निस्तारण किया गया।

सराहनीय प्रेस नोट जनपद गोण्डा दिनांक–09.04.2019

अवैध असलहे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त –

01. गणेश पुत्र नान्हू निवासी भट्पुरवा मौजा देवापसिया थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर
02 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–93/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 09.04.2019 को उ0नि0 जयहरि मिश्रा मय हमराह के साथ थाना कटराबाजार क्षेत्र में लगे नसीरपुर बैरियर चेकिंग के दौरान उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर थाना कटराबाजार में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 जयहरि मिश्रा।
02. का0 भूपेन्द्र राणा।